

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुड़ीसर
प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

धनाराम पुत्र लाखाराम जाति भील
निवासी गेहू मार्ग बाड़मेर, तहसील व
जिला बाड़मेर।

1. अदरीम पुत्र खमीशा जाति मुसलमान
2. बंशीलाल पुत्र शारदा
3. शोबारा पुत्र अलदाद निवासी धनोडा
4. फतेह मोहम्मद पुत्र गुलाम मोहम्मद
5. मोला बक्स पुत्र मिश्री खां
6. सुराब पुत्र मिश्री खां
7. उर्स पुत्र सबोध
8. इनायत पुत्र सुबोध
9. रायदान पुत्र सबोध जाति मुसलमान निवासी तिरसिंगडी
10. मांगीलाल पुत्र हजारीमल
11. भीष्म कुमार पुत्र वासुदेव
12. सीमा देवी पत्नी मदनलाल जातियान जैन निवासी गुलाब जी की होटल बाड़मेर
13. हुकमाराम पुत्र मुलाराम निवासी झाड़वा,
14. मधु शारदा पुत्र बंशीधर शारदा निवासी तकिया नीम बाड़मेर
15. मदनलाल पुत्र शंकरलाल
16. संजय कुमार पुत्र भूरचंद जाति जैन निवासी जटियो का वास, बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत् राजस्व आवेदन संख्या-88/2021 दिनांक-17.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा धनोडा पटवार हल्का भादरेश, भू.अ.नि. क्षेत्र जालीपा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 282/136 रकबा 27.00 बीघा, खसरा नम्बर 318/136 रकबा 13.00 बीघा कुल रकबा 40.00 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगड़ी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक-17/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6616-6619

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रयुक्त करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भादरेश को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी धनाराम पुत्र लाखाराम जाति भील निवासी गेहू मार्ग बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी अदरीम पुत्र खमीशा बगोराह जाति मुसलमान/जैन निवासी धनोडा/ गुलाब जी की होटल बाड़मेर/झाड़वा/ तकिया नीम बाड़मेर/ जटियो का वास तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर